

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

दूरभाष :- 05966-220035 फैक्स :- 05966-220035 ई-मेल cdpwdrkt@gmail.com
पत्रांक 2276 / 18सी. दिनांक, रानीखेत, 13-10-2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा
वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- कोटिला-ग्वाड़ से सुरईखेत मिलान मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं. 9349/2015)।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1726/!12-1(2) दिनांक 12.10.2017।

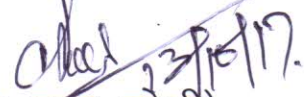
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बिल्लेख-सिविल चयनित किया गया है क्योंकि जिस समय जिलाधिकारी महोदय द्वारा बिल्लेख-सिविल में 324.001 है० भूमि चयनित किया गया था उसी के आधार पर ही तहसील रानीखेत द्वारा इस खण्ड को 51.274 है० भूमि विभिन्न मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल भूमि आवंटित की गयी थी। इसी 51.274 है० भूमि में से 7.700 है० भूमि उक्त मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। चयनित भूमि में किसी भी प्रकार का ओवर लेपिंग नहीं हुआ है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार आख्या अपने स्तर से नोडल को प्रमाण पत्र सहित प्रेषित करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त आपसे अनुरोध है कि बिन्दुवार आख्या वन संरक्षक स्तर से भी भेजने हेतु वन संरक्षक महोदय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- प्रमाण पत्र।

भवदीय,



(मोहन चन्द्र जोशी)

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कोटिला-ग्वाड़ मोटर मार्ग से सुरईखेत मिलान हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण का चयन बिल्लेख सिविल में किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल अन्य किसी कार्य हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है और न ही चयनित स्थल में किसी प्रकार का ओवर लेपिंग हुआ है।


अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
 रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा